

सं०सं०-17 / कोर्ट-35 / 2015

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- डा० वक्शी किशोरी रमण प्रसाद सिन्हा, सेवा निवृत्त, साईक्रियाटिस्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को बकाया 10% (दस प्रतिशत) पेंशन/उपादान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डा० वक्शी किशोरी रमण प्रसाद सिन्हा पर विभागीय संकल्प संख्या-793(9) दिनांक 01.09.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कि गयी। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश एवं विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में समीक्षोपरान्त समक्ष प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्रवाई का निष्पादन करते हुये डा० वक्शी किशोरी रमण प्रसाद सिन्हा को 10% (दस प्रतिशत) पेंशन/उपादान विमुक्त करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना-377(9) दिनांक 08.04.2017 द्वारा लिया गया।

अतः डा० सिन्हा को 10% (दस प्रतिशत) पेंशन एवं उपादान भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-17 / कोर्ट-35 / 2015 - 210 (17) पटना, दिनांक :- 11/4/17

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-डा० वक्शी किशोरी रमण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक, राँची मानसिक आरोग्यशाला, काँके राँची, सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता-शेखपुरा मोड़ राईडिंग रोड, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।